रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042022-235030
CG-DL-E-11042022-235030

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1649] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 11, 2022/चैत्र 21, 1944
No. 1649] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 11, 2022/CHAITRA 21, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2022

का.आ. 1735(अ).—विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरूद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण करने और आतंकवाद संबंधी क्रियाकलापों से निपटने तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियमित किया गया है ;

और उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) केन्द्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को अधिसूचित करने के लिए सशक्त करता है, यदि उसे यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है ;

और मोहीउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर उर्फ मक्ताब अमीर उर्फ मुजाहिद भाई उर्फ मोहम्मद भाई उर्फ एम. अम्मार उर्फ अबु अम्मार मादाम उर्फ औरंगज़ेब अंजार उर्फ मौलाना अम्मार मादनी उर्फ मौलाना अम्मार उर्फ अबु अम्मार उर्फ अम्मार अल्वी पुत्र अलाह बकाश साबीर, जन्म की तारीख 1 जनवरी, 1983, निवासी बहावलपुर, पंजाब, पाकिस्तान जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) का वरिष्ठ नेता है ;

और जैश-ए-मोहम्मद उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की क्रम संख्या 6 के अधीन आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है ;

और मोहीउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर 2019 के पुलवामा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल रक्षदल हमले में शामिल था ;

और मोहीउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर जैश-ए-मोहम्मद के निमित्त भारत विरोधी आतंकवादी कार्यकलापों में अंतर्वलित रहा है ;

और मोहीउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर जैश-ए-मोहम्मद के निमित्त पाकिस्तानी राष्ट्रिकों से निधि संग्रहण कार्यकलापों को और उक्त निधि को भारत में कश्मीर में भेजने के कार्यों को देखता है ;

और मोहीउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर अफगान कैडर को भारत में घुसपैठ को सरल बनाने और जम्मू-कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों पर आतंकवादी हमलों के समन्वय में सम्मिलित रहा है ;

और केन्द्रीय सरकार का यह विश्वास है कि मोहीउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर आतंकवाद में संलिप्त है और मोहीउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर को उक्त अधिनियम के अधीन आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची की क्रम संख्या 32 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"33. मोहीउद्दीन औरंगज़ेब आलमगीर उर्फ मक्ताब अमीर उर्फ मुजाहीद भाई उर्फ मोहम्मद भाई उर्फ एम. अम्मार उर्फ अबु अम्मार मादाम उर्फ औरंगज़ेब अंजार उर्फ मौलाना अम्मार मदनी उर्फ मौलाना अम्मार उर्फ अबु अम्मार उर्फ अम्मार अल्वी" ।

[फा. सं. 11034/13/2021-सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ठ, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची अधिसूचना संख्यांक का. आ. 1729 (अ) तारीख 8 अप्रैल, 2022 द्वारा पिछली बार संशोधित की गई थी ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2022

S.O. 1735(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of associations and individuals and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to notify the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Mohiuddin Aurangzeb Alamgir @ Maktab Ameer @ Mujahid Bhai @Muhammad Bhai @ M. Ammar @ Abu Ammar Madam @ Orangzaib Anzar @ Maulana Ammar Madni @ Maulana

Ammar @Abu Ammar @Ammar Alvi S/o Allah Bakash Sabir, date of birth on the 1st January, 1983, resident of Bahawalpur, Punjab, Pakistan is a senior leader of Jaish-e-Mohammed (JeM);

And whereas, Jaish-e-Mohammad is listed as a terrorist organisation under the First Schedule to the said Act at serial number 6;

And whereas, Mohiuddin Aurangzeb Alamgir has been involved in Pulwama Central Reserve Police Force Convoy attack of 2019;

And whereas, Mohiuddin Aurangzeb Alamgir is involved in anti-India terror activities on behalf of Jaish-e-Mohammad;

And whereas, Mohiuddin Aurangzeb Alamgir looks after JeM's fund collection activities from Pakistani nationals and routing the said fund to Kashmir in India;

And whereas, Mohiuddin Aurangzeb Alamgir has been involved in facilitating infiltration of Afghan cadres and coordinating terror attacks on Indian security forces in Jammu and Kashmir;

And whereas, the Central Government believes that Mohiuddin Aurangzeb Alamgir is involved in terrorism and Mohiuddin Aurangzeb Alamgir should be notified as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 32 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"33. Mohiuddin Aurangzeb Alamgir @ Maktab Ameer @ Mujahid Bhai @Muhammad Bhai @ M. Ammar @ Abu Ammar Madam @ Orangzaib Anzar @ Maulana Ammar Madni @ Maulana Ammar @Abu Ammar @Ammar Alvi".

[F.No. 11034/13/2021-CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note:- The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O. 1729(E) dated the 8th April, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA